प्रेस नोट संख्या - 31

दिनांक 18.05.2025

सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज व थाना एएनटीएफ बाराबंकी।

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत 100 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये), 30,600/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद बलेनो कार के साथ 01 अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 01 अदद क्रेटा कार सीज।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **“नशा मुक्त अमेठी अभियान**” के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2025 को उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना एएनटीएफ बाराबंकी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जनपद अमेठी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा ले जाकर बेचने वाला है। उक्त सूचना पर उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा मय टीम पतारसी सुरागरसी अवैध मादक पदार्थ व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जनपद अमेठी आये जहां मुखबिर द्वारा पुन: सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति थानाक्षेत्र गौरीगंज अन्तर्गत सम्राट फैक्ट्री के लिंक रोड पर बलेनो गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लेकर खड़ा हुआ है। उक्त सूचना से थाना गौरीगंज पुलिस को अवगत कराते हुये उ0नि0 मुकेश कुमार मय हमराह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के साथ संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर एक बारगी दबिश देकर खड़ी बलेनो कार को घेर लिया गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा गेट खोलकर भागने का प्रयास करने पर व्यक्ति को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उपरोक्त व्यक्ति ने अपना नाम त्रिलोचन गिरि पुत्र स्व0 कैलाश गिरि निवासी ग्राम पूरे गोसाईं, जंगलरामनगर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 47 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछने पर त्रिलोचन गिरि ने बताया कि मेरे पास अवैध मादक पदार्थ (गांजा) है। पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन श्रीमती बीनू सिंह एएनटीएफ यूनिट लखनऊ की मौजूदगी में पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी से 01 अदद वीवो फोन, 30,600/- रुपये नगद, 01 अदद आधार कार्ड बरामद हुआ व बलेनो कार सं0 यू0पी0 36 के 0501 की तलाशी से डिग्गी में 02 बोरों में कुल 14 पैकेट गांजा बरामद हुआ।

बरामद गांजे के संबन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं अवैध मादक पदार्थ (गांजा) बेचने का काम करता हूं। मैंने कुछ गांजा को अपने घर में जानवरों के बांधने की जगह पर जमीन में प्लास्टिक के ड्रम में गाड़ कर व कुछ गांजा को बोरियों में रखकर

कण्डे व भूसे के नीचे छिपाकर रखा है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के बताये गये स्थल पूरे गोसाईं जंगलरामनगर थाना व जनपद अमेठी पहुंचकर अभियुक्त त्रिलोचन गिरि के घर के बगल बने अहाते के अन्दर टीनशेड में जहां जानवर बांधे जाते हैं, के नीचे खोदकर देखा गया तो जमीन के नीचे नीले रंग के ड्रम में कुल 04 पैकेट गांजा बरामद हुआ। उक्त स्थल के अगल बगल कण्डों व भूसे के नीचे से कुल 03 बोरी गांजा बरामद हुआ। पैकेट/बोरियों से बरामद गांजा का वजन करने पर कुल 100 किलो 200 ग्राम पाया गया। पास खड़ी काले रंग की हुण्डई क्रेटा कार सं0 यू0पी0 36 एक्स 1268 के कागज मांगने पर दिखा न सका। पुन: पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं यह गांजा, अमित कुमार जो कस्बा मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, उससे सस्ते दाम पर खरीद कर यहां लाकर ऊंचे दाम पर बेंच देता हूं उपरोक्त क्रेटा कार को भी मैं प्राय: गांजा तस्करी में प्रयोग करता हूं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 8/20/29/60 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- त्रिलोचन गिरि पुत्र स्व0 कैलाश गिरि निवासी ग्राम पूरे गोसाईं, जंगलरामनगर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी-

1. कुल 100 किलो 200 ग्राम गांजा। **(अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये)**
2. कुल 30,600/- रुपये नगद।
3. 01 अदद वीवो मोबाइल फोन।
4. 01 अदद आधार कार्ड।
5. 01 अदद बलेनो कार सं0 यू0पी0 36 के 0501।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 162/25 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. काले रंग की हुण्डई क्रेटा कार सं0 यू0पी0 36 एक्स 1268 **(207 एमवी एक्ट)**।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन श्रीमती बीनू सिंह एएनटीएफ यूनिट लखनऊ।

थाना एएनटीएफ बाराबंकी -

1. उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
2. उ0नि0 कुलदीप शर्मा थाना एएनटीएफ बाराबंकी।,
3. उ0नि0 सूरज सिंह थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
4. उ0नि0 करुणेश पाण्डेय थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
5. उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
6. हे0का0 आलोक सिंह थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
7. हे0का0 दीपक कुमार थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
8. हे0का0 वेद प्रकाश दुबे थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
9. हे0का0 आदिल हाशमी थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
10. हे0का0 मकसूद आलम थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
11. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
12. का0 अमरपाल थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
13. का0 मो0 सहबान थाना एएनटीएफ बाराबंकी।
14. म0का0 स्वाती तिवारी थाना एएनटीएफ बाराबंकी।

थाना गौरीगंज पुलिस टीम –

1. श्री श्याम नारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 मुकेश कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. का0 अंकित यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 उपेन्द्र सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्त त्रिलोचन गिरि का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 469/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 75/19 धारा 279, 337, 338, 504 भादवि थाना व जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 267/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।